UPSP010061882026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी – **निशान्त देव**, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी.1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2438/2026

शब्बीर पुत्र साबिर निवासी कमेला कालोनी(नदीम कालोनी) थाना मंडी, जिला सहारनपुर ।
.... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य **......... अभियोजन**

सत्र वाद संख्या–2432/2025
मु0अ0सं0– 203/2025
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– कुतुबशेर, जिला– सहारनपुर।

08–06–2026

प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शब्बीर** पुत्र साबिर की ओर से सत्र वाद संख्या–2432/2025, मु0अ0सं0–203/2025 अंतर्गत धारा– 8/20 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमती मीना पत्नी शब्बीर द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्यतः कथन किये गये हैं कि प्रार्थी उपरोक्त वाद में पूर्व से जमानत पर था। उसने जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। दिनांक 08.05.26 को प्रार्थी दूसरे मुकदमे में जेल में होने के कारण हाजिर अदालत नहीं हो पाया और न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर पाया। जिस कारण उसके विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी हो गये। प्रार्थी दिनांक 02.06.26 से कारागार में बन्द है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 08.05.2026 को गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये थे। अभियुक्त का कथन है कि वह नियत दिनांक अन्य मुकदमे में जेल में निरुद्ध था, जिस कारण वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। अभियुक्त दिनांक 02.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त जमानत हेतु उचित जमानती पेश करने को तैयार है।

उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार है। अतः प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **शब्बीर** पुत्र साबिर की ओर से सत्र वाद संख्या–2432/2025, मु0अ0सं0–203/2025 अतंर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 2,00,000/– (दो लाख) रुपये का नया व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो नये प्रतिभू पत्र न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक : 08–06–2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
(जे.ओ. कोड–यू.पी. 1704)